HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए लूट के मामले में एक अभियुक्त को 04 वर्ष 05 माह का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा लूट करने वाले 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 21.07.2020 को अभियुक्त वसी मौहम्मद उर्फ हीरो पुत्र सत्तार निवासी ग्राम जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ द्वारा मुकदमा वादी प्रशान्त की मोटर साइकिल लूटने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 318/2020 धारा 392, 411, 120बी, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.02.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.03.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एसीजेएम हापुड़ द्वारा 04 वर्ष 05 माह का कारावास (जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम जी (एस.पी.ओ) व विवेचक उप निरीक्षक श्री महेन्द्रपाल शर्मा एवं पैरोकार का0 विजय कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 अमित कुमार का विशेष योगदान रहा।